ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ जिला सिरमौर की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन
अवधि 3/2007 से 3/16 (5.3.2007 से 31.3.20016)

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 3/07 से 3/16 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.05 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी और श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 29.3.2017 से 19.4.2017 के दौरान उपमण्डलाधिकारी, राजगढ़ जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के कार्यालय में किया गया। निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया :–

वर्ष	आय	व्यय
5.3.07 से 31.3.07	3/07	3/07
2007–08	9/07	10/07
2008–09	12/08	3/09
2009–10	6/09	1/10
2010–11	4/10	1/11
2011–12	3/12	9/11
2012–13	1/13	2/13
2013–14	3/14	9/13
2014–15	11/14	6/14
2015–16	3/16	10/15

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹लाखों में
1	4	राजकीय कोष में कम राशि जमा करना	1.02
2	7	जिलाधीश कार्यालय सिरमौर को अनियमित रूप से राशि प्रेषित करना	18.27

3	8	कोष चालानों का राजकीय कोषगार से मिलान न करना	5.65
4	9	वेतन पर अनियमित भुगतान करना	1.61
5	10	सुगम केन्द्र, राजगढ़ के निर्माण हेतु प्राप्त राशि का उपयोग न करना	1.50
6	11	औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक–स्टोर का क्रय करना	0.79

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित उपमण्डलाधिकारी, राजगढ़ जिला सिरमौर में कार्यरत रहे :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	अवधि	विवरण
1	श्री विवेक चन्देल, एच0ए0एस0	1.12.06 से 7.1.08	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
2	श्री राजेश कुमार, एच0ए0एस0	5.2.08 से 18.5.11	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
3	श्री सुरेश कुमार भारद्वाज, एच0ए0एस0	18.5.11 से 25.8.12	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
4	श्री पंकज शर्मा, एच0ए0एस0	25.8.12 से 24.4.14	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
5	श्री सतीश कुमार चौधरी, एच0ए0एस0	24.4.14 से 6.8.15	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
6	श्री राणा प्रताप सिंह, एच0ए0एस0	6.8.15 से 20.7.16	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0
7	श्री एस0 डी0 नेगी, एच0ए0एस0	29.8.16 से लगातार	एस0डी0एम0 –एवं –डी0डी0ओ0

" इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा"।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, आर0एल0ए0 राजगढ जिला सिरमौर (हि0प्र0) के अवधि 3/07 से 3/16 की उपयोक्ता प्रभार निधियों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹24000 आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 3 दिनाँक 19.4.17 द्वारा उपमण्डलाधिकारी, राजगढ़ जिला सिरमौर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

ई–गवर्नैंस सोसाईटी, आर0एल0ए0 सिरमौर द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षणाधीन अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर भी उपलब्ध है :–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय				व्यय			अन्तिम शेष
		आर0 एल0 ए0 (उपयोक्ता प्रभार)	अन्य लेखा शीर्ष	ब्याज	कुल	आर0 एल0 ए0 (समस्त लेखा शीर्ष)	परिवहन विभाग को प्रेषित 25 प्रतिशत हिस्से की राशि	कुल	
2006.07	0	4150	20000	0	**24150**	250	0	**250**	**23900**
2007.08	23900	221401	261077	544	**506922**	456600	0	**456600**	**50322**
2008.09	50322	220285	24995	1542	**297144**	130796	85055	**215851**	**81293**
2009.10	81293	203650	86044	1345	**372332**	129636	74000	**203636**	**168696**
2010.11	168696	230650	252849	5372	**657567**	134252	100028	**234280**	**423287**
2011.12	423287	247150	686454	16452	**1373343**	205696	229275	**434971**	**938372**
2012.13	938372	300505	318078	40827	**1597782**	215163	136117	**351280**	**1246502**
2013.14	1246502	303465	367855	32728	**1950550**	351203	1443713	**1794916**	**155634**
2014.15	155634	466260	409841	2105	**1033840**	427377	567592	**994969**	**38871**
2015.16	38871	474565	431876	1571	**946883**	438726	465470	**904196**	**42687**
दिनांक 31.3.16 को रोकड़ बही के अनुसार शेष ।									**42687**
दिनांक 31.3.16 को बैंक खातों का परिशिष्ट–''ख ''के अनुसार शेष									**31082**
दिनांक 31.3.16 को परिशिष्ट–''ख '' के अनुसार हस्तगत राशि									**11605**
दिनांक 31.3.16 को बैक में जमा राशि और हस्तगत राशि									**42687**
वित्तीय स्थिति तथा रोकड़ वही/बैंक में जमा राशि में अन्तर									**0**

4 राजकीय कोष में ₹1.02 लाख को कम जमा करनवाना :–

प्रधान सचिव (परिवहन),हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः TPT-F(1)-3/2000-e-Goverance दिनाँक 3.9.2005 के पैरा संख्या 3(ए) के अनुसार "25% of all Receipts collected on account of user charges shall be deposited in Head -1055-Road Transport 800-other receipts-Misc.Receipts from Societies" अर्थात परिवहन गतिविधियों द्वारा प्राप्त सेवा शुल्क से प्राप्त सभी प्राप्तियों का 25 प्रतिशत भाग उपरोक्त लेखा

शीर्ष के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 03/2007 से 31.3.2016 तक परिवहन गतिविधियों से ₹26,72,081 सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई थी। उपरोक्त पैरा सं0 3 के अनुसार 25 प्रतिशत की दर से ₹6,68,020 जिसका विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 03/2007 से 31.3.2016 तक ₹5,65,743 जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर उपलब्ध है उक्त शीर्षक के अन्तर्गत राज कोष में जमा करवाई गई थी। इस प्रकार ₹1,02,277 (668020–565743=102277) राजकीय कोष में कम जमा करवाई थी। अतः ₹1,02,277 को तुरन्त उक्त वर्णित शीर्षक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

वर्ष	परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के रूप में आय
2006–07	4150
2007–08	221401
2008–09	220285
2009–10	203650
2010–11	230650
2011–12	247150
2012–13	300505
2013–14	303465
2014–15	466260
2015–16	474565
योग	**2672081**
उक्त राशि का 25 प्रतिशत भाग	**668020**

5 आय–व्यय लेखा तथा तुलन पत्र तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0 एफ (1) 3/2000–ई गवर्नेंस दिनाँक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुये प्रतिवर्ष आय एवं व्यय विवरणी (Income & Expenditure Statement) तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार किया जाना था जबकि सोसाईटी द्वारा वर्ष के अन्त में न तो आय एवं व्यय विवरणी (Income &

Expenditure Statement) तैयार की गई और न ही तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार किया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना करते हुए उक्त निधि की प्रत्येक वर्ष की आय एवं व्यय विवरणी (Income & Expenditure Statement) तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार किया जाये तथा कृत अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाये।

6 ₹0.28 लाख के आय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

रोकड़ बही अनुसार चयनित माह 3/07, तथा 9/07 के दौरान सोसाईटी को ₹28140 की आय प्राप्त हुई दर्शाई गई थी। परन्तु इस राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/रसीदें इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान सोसाईटी को इस बारे अंकेक्षण अधियाचना सं0 2 दिनांक 11.4.2017 द्वारा अवगत करवाया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण को उक्त अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध न करवाना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम सं0	माह		राशि
1	3/2007		4150.00
2	9/2007		23990.00
		श्योग	**28140.00**

7 ₹ 18.28 लाख को अनियमित रूप से जिलाधीश कार्यालय सिरमौर को प्रेषित करना :–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 7/13 से 3/16 के दौरान ₹18,27,937 जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** पर उपलब्ध है। यह राशि उपयोगिता प्रभार राशि का 75 प्रतिशत भाग है। उक्त ₹18,27,937 को माह 7/13 से 3/16 के दौरान जिलाधीश कार्यालय, सिरमौर स्थित नाहन को प्रेषित किया गया। उक्त राशि को किस नियम के

अन्तर्गत जिलाधीश कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है इस बारे में अंकेक्षण को तुरन्त अवगत करवाया जाए अन्यथा प्रेषित की गई राशि को वापिस जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त करके उसे ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ के लेखों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय को प्रेषित की गई राशि से सम्बन्धित कोई भी पावती/रसीद ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी जिसे प्राप्त करके भेजी गई राशि की पुष्टि की जानी भी सुनिश्चित की जाए ।

8 ₹5.65 लाख के कोष चालानों का राजकीय कोषगार से मिलान न करना :–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ के अवधि 03/2007 से 03/2016 के अंकेक्षण के दौरान उपयोगिता प्रभार की 25 प्रतिशत राशि के रूप में ₹565743 विभिन्न कोष चालानों द्वारा राजकीय कोषगार में जमा की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–"ग"** पर दिया गया। संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में राजकीय कोषगार से जमा करवाई राशियों का माहवार मिलान नहीं किया जा रहा है जिससे राशियों की जमा पुष्टि नहीं होती। अतः जमा करवाई गई राशियों का मिलान कोषागार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रक्रिया को भविष्य में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

9 ₹1.62 लाख का वेतन पर अनियमित भुगतान करनाः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा अवधि 3/08 से 3/16 के दौरान दैनिक वेतन चौकीदार, अंशकालीन चपडासी व अंशकालीन सफाई कर्मचारी के वेतन पर ₹1,61,825 का भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	अविध	विवरण	राशि
1	3/08 से 3/09	दैनिक वेतन चौकीदार, अंशकालीन चपडासी व अंशकालीन सफाई कर्मचारी के वेतन पर व्यय	21125
2	4/09 से 5/10	–यथोपरि–	22750
3	6/10 से 7/10	–यथोपरि–	3600
4	8/11 से 12/11	–यथोपरि–	30600
5	1/12 से 12/12	–यथोपरि–	16000
6	2/14 से 4/15	–यथोपरि–	37500
7	5/15 से 3/16	–यथोपरि–	30250
		योग	**161825**

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, से उक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः उक्त भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष से निकाल कर उसे ई–गवर्नेंस सोसाईटी के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सुगम केन्द्र, राजगढ़ के निर्माण हेतु प्राप्त ₹1.50 लाख का उपयोग न करनाः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 26.5.2010 को ₹1,50,000 उपायुक्त, सिरमौर से सुगम केन्द्र, राजगढ़ के निर्माण हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त राशि को व्यय करने के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की थी। सोसाईटी ने निर्धारित अवधि में उक्त राशि को उपयोग में न ला कर उसे तीन वर्ष के उपरान्त दिनांक 12.9.2013 को सोसाईटी के खाता सं0 20549 में स्थानान्तरित कर दिया था, परन्तु 3/16 तक सुगम केन्द्र का निर्माण न होने से जन साधारण को इसका लाभ नहीं मिला। अतः छः वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त ₹1,50,000 का उपयोग न करने का औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.79 लाख के स्टॉक–स्टोर का क्रय करना:–

हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 103 द्वारा स्टाक–स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं पूर्ण करना अपेक्षित है। माह 10/07 व 9/11 के निम्न व्यय वाउचरों की विस्तृत पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹79112 का स्टोर–स्टॉक का क्रय औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त संस्था को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः स्टोर–स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक–स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

क्रम सं0	बिल/इन्वॉस सं0	दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	–––	&&	Shyam Radio & Electricals, Main Bazar, Rajgarh	1. Electrical work for HIMSWAN POP Centre at Sub Division H.Q. at Rajgarh. 2. Electrical work for HIMSWAN POP Centre at Sarahan (Pachhad).	32486-00 32486-00
2	आर/ 014811	19-8-11	Gitdhar Sons SCO-2405,Sector-22/c Chandigarh-160022.	Printer Ink	6440-00
3	1012	24-9-11	e-Technologies Sarswati nagar, North Oak, SanjauliShimla-1.	1. 4000 Nos Preprinted R.C. 2. 3000 Nos Preprinted Fitness certificate	4400-00 3300-00
				योग	**79112.00**

क्रम सं0 1 पर वर्णित फर्म के वास्तविक बिल अभिलेख में संलग्न नहीं थे। केवल प्रस्तावित विद्युत कार्य के आंकलन (अनुमान) (proposed work Estimate for Electrical work) पर मैसर्ज द्वारा हस्ताक्षरित करके उन्हें भुगतान किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में भी अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

12 ₹0.52 लाख के व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :–

चयनित माह 10/2007 में रोकड़ बही पृष्ठ–35 पर तहसीलदार पच्छाद स्थित नाहन को पी0ओ0पी0 कम्पयूटर कक्ष का निर्माण करने हेतु चैक संख्याः 988522 दिनांक 20.10.2007 द्वारा ₹52,000 प्रदान की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र सं0 4284 दिनांक 14.11.2007 द्वारा एस0डी0एम0 महोदय को सूचित किया गया कि उक्त राशि पी0ओ0पी0 कक्ष सराहां के निर्माण हेतु खर्च की गई है तथा उपयोगिता प्रमाण के अतिरिक्त कोई भी बिल/वाउचर/अनुमान इत्यादि संलग्न नहीं थे। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त अभिलेख तहसीलदार कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिसे अब प्राप्त करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना जाना सुनिश्चित किया जाए ।

13 ₹0.40 लाख का सामान पीस मील में क्रय करनाः–

हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 100 के अन्तर्गत स्टॉक को मांग के अनुसार क्रय किया जाना अपेक्षित है। परन्तु व्यय वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹40,500 का व्यय विभिन्न वस्तुओं को एक मुश्त क्रय न करके कम–कम मात्रा में क्रय किया गया है जोकि उक्त नियम के अनुसार उचित नहीं है अतः भविष्य में वस्तुओं को मांग के अनुसार एक मुश्त में क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

क्रम सं0	बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	वस्तु का नाम	राशि
1	3307	5.6.09	मै0 ठाकुर इन्टरप्राईज़, दुकार नं0 3 चन्देल कम्पलेक्स दी माल राजगढ़	स्टेशनरी इत्यादि	1969
2	3322	12.7.09	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1881
3	3334	18.9.09	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1909
4	3342	20.10.09	–यथोपरि–	–यथोपरि–	3024
5	1435	30.6.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2027
6	1437	1.7.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1381
7	1439	15.9.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2205
8	1447	30.9.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1586
9	1449	30.11.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1775
10	1452	5.12.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1168
11	1460	21.1.10	–यथोपरि–	–यथोपरि–	578
12	1170	21.4.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2640
13	1185	9.5.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2190
14	258	21.10.12	श्याम रेडियो एण्ड इलैकट्रीकल, राजगढ़ जिला सिरमौर	इलैकट्रीकल गुडज.	2875
15	301	4.12.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2497
16	306	7.12.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2107
17	741	30.4.12	मै0 ठाकुर इन्टरप्राईज़, दुकार नं0 3 चन्देल कम्पलेक्स दी माल राजगढ़	स्टेशनरी इत्यादि	1778
18	762	30.5.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1918
19	775	25.6.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1942
20	779	20.7.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1468
21	780	24.8.13	–यथोपरि–	–यथोपरि–	1582
				योग	**40500**

14 अग्रिम ₹0.33 लाख का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन न करनाः–

ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया कि चैक संख्या 223343 दिनांक 23.102015 द्वारा ₹32,600 कार्यालय के बिजली, पानी व दूरभाष इत्यादि के बिलों की अदायगी हेतु आहरित किए थे, परन्तु उक्त राशि का दिनांक 31.3.2016 तक समायोजन नहीं किया गया था। अतः उक्त

राशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष से निकाल कर उसे सोसााईटी के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15 ₹0.02 लाख का बिल प्राप्त न होनाः–

चयनित माह 10/2007 में रोकड़ बही पृष्ठ–31 पर Managing Director, H.P. State Electronics Dev. Corporation Ltd. Rattan Kunj Building, Shimla-2 को बैंक ड्राफट सं0 435665 दिनांक 8.10.2007 द्वारा निम्न सामान क्रय करने हेतु ₹30965 का अग्रिम के रूप में भुगतान कियाः–

Sr. No	Item	Qty	Rate	Amount
1	Wep-H.Q-1070-DX-X Dot Matrix Printer 24 in 136.	1 No.	12215	12215
2	HP Laser Jet-1022 Printer	2 No.	8200	16400
3	Signature Pad	1 No	2350	2350
			Total	**30965**

क्रम सं0 1 व 2 पर वर्णित सामान का बिल सं0 17069 दिनांक 10.10.2007 अभिलेख में मौजूद था जबकि क्रम सं0 3 पर Signature Pad से सम्बन्धित ₹2350 का बिल प्रस्तुत अभिलेख में नहीं पाया गया। अतः अपेक्षित बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹2350 वापिस प्राप्त करके अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

16 ₹0.13 लाख की पावती प्राप्त न करनाः–

चयनित माह 9/11 व 2/13 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया कि निम्नलिखित भुगतान से सम्बन्धित ₹12575 की राशियों की पावती सम्बन्धित फर्म से प्राप्त नहीं की थी जिसे अब प्राप्त करके अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

क्रम सं0	बिल/इन्वॉस सं0	दिनांक	फर्म का नाम	विवरण	राशि
1	एस0आई0–14455	27-8-11	H & H Technologies Pvt. Ltd. SCO-198-200 Sector-34 A Chandigarh-160022.	One Printer	4700-00

2	203	3-1-13	Suyal Printers Lower Kaithu Shimla-3.	5000 Nos. Computerized R.C. Copies with printing.	7875-00
				योग	**12575.00**

17 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निमय, 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अनुसार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा खरीदी गई सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification of Store) नहीं करवाया गया था, जोकि उक्त नियमानुसार उचित नहीं था। अतः स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष में एक बार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 विविधः–

(क) ई–गवर्नेंस सोसाईटी, पंजीकरण एवं लाईसैंसिंग प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त आय तथा व्यय की रोकड़ बही के एकल–2 कॉलम में प्रविष्टि की जा रही है जिसके कारण यह ज्ञात करना कठिन है कि शीर्षकवार में कितनी राशि प्राप्त/व्यय हो रही है। अतः परामर्श दिया जाता है कि शीर्षकवार ¼Multi column½ समेकित रोकड़ वही तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय व व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाया/ज्ञात किया जा सके।

(ख) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा समय–2 पर क्रय की जा रही मदों को बिलबार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है जबकि प्रत्येक वस्तु को मदवार दर्ज किया जाना अपेक्षित है ताकि समय–समय पर यह ज्ञात हो सके कि तिथी विशेष को स्टॉक में कितनी कितनी मात्रा शेष है । अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टॉक रजिस्टर को मदवार तैयार किया जाए।

19 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–**इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

20 **निष्कर्षः–**निधि लेखाओं के रख–रखाव में सुधार एवं निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2) सी(15) xii(57)/17 खण्ड–1–5657–5660,दिनाँक,16.09.17
शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं सचिव ई–गवर्नैस सोसायटी राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई–गर्वनैन्स सोसाईटी सिरमौर हि0प्र0
3. निदेशक, परिवहन विभाग हि0प्र0 शिमला–171004
4. विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–171002

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881